कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

क्रमांक:–व.15(3)आरपीए / फोर्स / विविध / संविदा / 2010 / 4586–89 दिनांक :– 12.08.2016

विज्ञप्ति

इस संस्था में विद्युतकार–01, सिनेमा ऑपरेटर–01 वॉर्ड बॉय–03 आदि तकनीकी संवर्ग व पेन्टर–01, कुक–02, सईस–02, जलधारी 02, बागवान–01, धोबी–03, व नाई के 02 पद आदि चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा नियमित कार्मिकों की नियुक्ति या स्थानान्तरण से भरे जाने तक या अधिकतम एक वर्ष के लिए उक्त पदों पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति के इच्छुक एवं 65 वर्ष से कम आयु के शारीरिक रूप से (चिकित्सकीय रूप से) उपयुक्त उसी पद से सेवा निवृत्त कार्मिकों से समेकित पारिश्रमिक राशि 5100/– रूपये प्रतिमाह पर संविदा पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है। इच्छुक एवं योग्य सेवा निवृत्त कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 नियम 164 (ए) में संशोधन हेतु जारी राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–12(16)एफडी(रूल्स)09 दिनांक 01.12.2015 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प–17(10)कार्मिक / क–2 / 94 दिनांक 26.05.2014 (जिनकी प्रतियां सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है) में विहित शर्तो के अन्तर्गत पूर्ण औपचारिकता सहित आवेदन पत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2016 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

1. उपरोक्त प्रस्तावित समेकित पारिश्रमिक सेवा निवृत्ति के समय के मूल वेतन में से मूल पेंशन की राशि घटाने पर शेष रही राशि से अधिक नही होगा।
2. संविदा पुनर्नियुक्ति की सेवाएं 65 वर्ष की आयु तक विस्तारित की जा सकती है किन्तु किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नही होगी।
3. संविदा पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में केवल 12 दिवस आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे तथा अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश देय नही होगा। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30वां भाग काटा जायेगा।
4. अन्य सेवा शर्ते कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प–17(10)कार्मिक / क–2 / 94 दिनांक 26.05.2014 के अनुरूप होंगी। संविदा किसी भी शर्त का भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी।

उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, राज0 जयपुर को उनके पत्रांक न–5(3)पु.फो. / अनु.4 / 2016 / 3490 दिनांक 12.07.2016 के क्रम में।
2. समस्त सहायक निदेशक एवं संचित निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को भेजकर लेख है कि इसका अधिकाधिक प्रचार–प्रसार करें यथा रोलकॉल में सुनावें एवं नोटिस बोर्ड पर चिपकावें आदि।
3. प्रोग्रामर, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति संस्था एवं पुलिस विभाग की वेब साइट पर प्रचार–प्रसार हेतु अपलोड करावे।

उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

D:\SULTAN BURI Establishment\Savida Niyukti 2011.doc

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ. 17(10)डीओपी/ए–II/94 जयपुर, दिनांक 26 MAY 2014

परिपत्र

विषयः–सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त।

राजकीय विभागों में रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबन्ध पर रखने के संबंध में कार्मिक विभाग के समसंख्यक ज्ञापन (Memorandum) दिनांक 31.10.1995 एवं समय–समय पर किये गये संशोधनों के अतिक्रमण में मंत्रिमण्डलीय आज्ञा क्रमांक 251/2013 दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के अनुक्रम में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 27.09.2013 के तहत जोडे गये राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–164A के अनुक्रम में राज्य सरकार के विभागों, विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों, संस्थाओं जिनके लिए सेवा नियम अभी तक नहीं बन पाये हैं या रिक्त पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति कर सेवाएं लिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(1) राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों तथा संस्थाओं की रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पुनर्नियुक्ति हेतु विभाग के प्रशासनिक सचिव के द्वारा संवर्ग नियंत्रक अधिकारी की राय/सहमति के पश्चात कार्मिक विभाग और वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं केवल उन पदों के विरूद्ध ही ली जा सकेंगी जो कि स्पष्ट रूप से रिक्त हैं। इस हेतु :–

(i) राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में सेवाएं लेने हेतु संबंधित प्रशासनिक सचिव सक्षम प्राधिकारी होगा।

(ii) विभागाध्यक्ष, अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी काडर में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

(iii) संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी मंत्रालयिक सेवा और चतुर्थ श्रेणी स्तर की रिक्तियों के लिए सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

12/2014

(3) किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष की आयु से कम या कर्मचारी शारीरिक रूप से (चिकित्सकीय रूप से) उपयुक्त रहने तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्ता होगा।

परन्तु उच्चतर पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं, निम्नतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के अध्यधीन ली जा सकेगी।

(4) सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया/मार्गदर्शक सिद्धान्त भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए ठीक समझे।

(5) सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न परिशिष्ठ – 'क' के अनुसार होगी।

उक्त परिशिष्ठ –'क' में दर्शित समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि समेकित पारिश्रमिक राशि अन्तिम मूल वेतन में से पेंशन राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं होगी।

(6) केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जो विगत पांच वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की पुनर्नियुक्ति संविदा सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, संविदा पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

(7) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा पर वचनबंध एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए होना चाहिए, जिसे सक्षम प्राधिकारी से ठीक उच्चतर अधिकारी की अनुज्ञा से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित किया जा सकता है। पुनर्नियुक्ति सेवाएं किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

(8) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के समय सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त कार्मिक के बीच विस्तृत करार हस्ताक्षरित होगा। (परिशिष्ठ–'ख')

(9) संविदा पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।

(10) ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(11) संविदा, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन है।

(12) संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त होगा।

(13) संविदा पुनर्नियुक्ति आधार पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकडबही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. 101400500 दिनांक 21.05.2014 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स/विभागाध्यक्ष।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1/ख–2) विभाग।
7. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

(शैलेन्द्र श्रीमाली)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट–'क'

सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लिये जाने पर समेकित पारिश्रमिक निम्नलिखित रीति से अवधारित की जायेगी :–

क्रम सं.	वेतनमान में सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 में वेतन बैण्ड + ग्रेड पे	समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रुपयों में)
1.	4750–7440+ग्रेड वेतन 1300	5100
2	4750–7440+ग्रेड वेतन 1400	
3	4750–7440+ग्रेड वेतन 1650	
4	5200–20200+ग्रेड वेतन 1700	
5	5200–20200+ग्रेड वेतन 1750	
6	5200–20200+ग्रेड वेतन 1800	
7	5200–20200+ग्रेड वेतन 1850	
8	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900	6800
9	5200–20200+ग्रेड वेतन 2000	
10	5200–20200+ग्रेड वेतन 2100	
11	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400	
12	5200–20200+ग्रेड वेतन 2800	
13	9300–34800+ग्रेड वेतन 3200	9000
14	9300–34800+ग्रेड वेतन 3600	
15	9300–34800+ग्रेड वेतन 4200	12000
16	9300–34800+ग्रेड वेतन 4600	
17	9300–34800+ग्रेड वेतन 5400	15000
18	15600–39100+ग्रेड वेतन 5400	
19	15600–39100+ग्रेड वेतन 6000	18000
20	15600–39100+ग्रेड वेतन 6600	20000
21	15600–39100+ग्रेड वेतन 6800	
22	15600–39100+ग्रेड वेतन 7200	23000
23	15600–39100+ग्रेड वेतन 7600	
24	15600–39100+ग्रेड वेतन 8000	
25	37400–67000+ग्रेड वेतन 8700	26000
26	37400–67000+ग्रेड वेतन 8900	
27	37400–67000+ग्रेड वेतन 9500 **नई ग्रेड पे**	30000
28	37400–67000+ग्रेड वेतन 10000	

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित समेकित पारिश्रमिक सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन में से मूल पेंशन की राशि कम करने पर रही शेष राशि से अधिक नहीं होगा।

परिशिष्ट–'ख'

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाला करार

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा पुनर्नियुक्ति पर सेवाऐं लेने के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र सं. .....दिनांक..... .....द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में निम्नलिखित करार राजस्थान सरकार, जिस अभिव्यक्ति में राज्यपाल की ओर से संविदात्मक करार करने के लिए सक्षम सरकार का प्राधिकारी सम्मिलित है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और श्री .....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी..... .....(जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के बीच किया जाता है। जिसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह करार किया जाता है :

1. संविदा वचनबंध द्वितीय पक्षकार को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा और प्रथम पक्षकार इसे किसी भी समय समाप्त कर सकता है। द्वितीय पक्षकार इस प्रयोजन के लिए किसी प्रशासनिक, अर्द्ध–न्यायिक या न्यायिक अनुतोष का अवलम्ब लेने का हकदार नहीं होगा।
2. द्वितीय पक्षकार द्वारा मूल विभाग के अधीन की गई पूर्व सेवा, यदि कोई हो, की कोई सुसंगति नहीं होगी या उसे सेवा फायदों की किसी निरन्तरता के लिए गिना नहीं जायेगा।
3. संविदात्मक वचनबंध एक वर्ष की कालावधि के लिए या द्वितीय पक्षकार के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, किया जाता है।
4. वचनबंध की संविदा कालावधि पर नवीकरण के लिए विचार किया जा सकेगा परन्तु संविदात्मक वचनबंध की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..... .....का कार्य और आचरण संतोषजनक होना चाहिये। किसी भी दशा में संविदात्मक वचनबंध की निरन्तरता 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
5. संविदात्मक समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन प्रति मास .....रु. पर नियत की गई है कि समेकित पारिश्रमिक राशि सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे) में से मूल पेंशन राशि कम करने पर अवशेष रही राशि से अधिक नहीं होगी। द्वितीय पक्षकार को पारिश्रमिक समनुदेशित कार्य के संतोषजनक निर्वहन पर निर्भर होगा। किसी कमी की दशा में प्रथम पक्षकार तदनुसार पारिश्रमिक अवधारित करने के लिए प्राधिकृत होगा।
6. संविदात्मक वचनबंध 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन होगा।

7. द्वितीय पक्षकार एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश का उपयोग करने का हकदार होगा। किसी भी प्रकार का कोई अन्य अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा।
8. प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक परिलब्धियों का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
9. अधिकारिता के भीतर कार्य स्थान सक्षम प्राधिकारी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रथम पक्षकार की ओर से विनिश्चित किया जायेगा। द्वितीय पक्षकार को राजस्थान के भीतर या बाहर कहीं भी कार्य करने के लिए भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा।
10. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।
11. द्वितीय पक्षकार द्वारा समस्त नियमों और विनियमों, निदेशों और आदेशों का अनुपालन किया जाना है जो पहले से ही प्रवर्तन में है और जो संविदा कालावधि के दौरान जारी किये जा सकते हों।
12. पक्षकारों के बीच किसी विवाद को ऐसे प्राधिकारी को, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर दिनांक सहित

साक्षी:

1.

2.

प्रथम पक्षकार की ओर से हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

साक्षी:

1.

2.

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल बिभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न है) :
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :
10. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं.....दिनांक..... .....में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुरः

दिनांकः

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी.....जो सेवानिवृत्ति से पूर्व..... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती.....की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती..... .....रु. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती ..... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती..... .....के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

12/2014

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

No. F.12(6)FD(Rules)/2009 Jaipur, dated : 01.12.2015

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, namely :-

1. Short Title and Commencement - (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Third Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force with **immediate effect**.

2. Substitution of Rule 164 A. - The existing rule 164 A of the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996 shall be substituted by the following, namely :-

> "164A. Reappointment on consolidated remuneration.- Notwithstanding anything contained in rule 149 to 164, in cases where a post is lying vacant in any service and regular recruitment to the post shall take time and the post cannot be retained vacant in public interest, the retired Government servant who has not completed the age of 65 years may be reemployed by the concerned Administrative Department in the first instance for one year. If the post still remains vacant after expiry of one year, then the Administrative Department, after recording reasons for non filling of post, may extend the period of re-employment by another one year. Beyond two years re-employment shall not be extended without the prior concurrence of Department of Personnel and Finance Department. Such re-employment shall be for the period, till regularly selected persons are made available for appointment or till the reemployed person attains the age of 65 years, whichever is earlier. Such reemployed person shall be allowed consolidated remuneration as decided by the Government in Department of Personnel, from time to time. During the period of reemployment only casual leave shall be admissible and any other kind of leave with remuneration shall not be admissible. The Administrative Department before re-employement shall ensure that the post is clearly lying vacant and such reemployment shall not affect adversely the promotion opportunity of any employee and the person to be reemployed has satisfactory service record."

By order of the Governor,

(Siddharth Mahajan)
Special Secretary to the Government,
Finance (Budget)